भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय

लालूनगर, मधेपुरा-852113 (बिहार)

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य
अंगीभूत महाविद्यालय,
भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय, क्षेत्रान्तर्गत।

विषय : विद्यार्थियों कि शिकायतों/समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु मंगलवार को ''विद्यार्थी सहयोग'' आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ : बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, विशेष सचिव के पत्रांक-01/एम-01/2026-03, दिनांक-21.08.2026

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक् संदर्भाधीन पत्र के आलोक में विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं अन्य समस्याओं/शिकयतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को ''विद्यार्थी सहयोग शिविर'' का आयोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। साथ ही शिविर में विद्यार्थियों की शिकायतों एवं समस्याओं को प्राप्त कर उनका यथासंभव त्वरित समाधान किया जाए तथा आवश्यक मामलों को नियमानुसार संबंधित पदाधिकारी/प्राधिकरण को अग्रसारित किया जाए।

शिविर के दौरान विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं, शिकायत निवारण व्यवस्था एवं ''विद्यार्थी सहयोग पोर्टल'' के संबंध में भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

शिविर के आयोजन की व्यापक जानकारी हेतु महाविद्यालय के प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए जाएँ तथा विद्यार्थियों को पर्याप्त सूचना दी जाए।

शिविर की गतिविधियों की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराई जाए। शिविर समाप्ति के उपरांत आयोजित शिविर की संक्षिप्त रिपोर्ट, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त शिकायतों/समस्याओं एवं उनके समाधान का विवरण तथा विडियोंग्राफी/फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

सभी महाविद्यालय यह सुनिश्चित यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं विद्यार्थी-केंदित तरीके से आयोजित हो तथा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उक्त निर्देश का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए शिविर की रिपोर्ट निर्धारित समय में विश्वविद्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह./-

कुलसचिव

ज्ञापांक-GS(NOD-306/26)-1089/26   दिनांक-22/08/2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

01. कुलपति के निजी सहायक/कुलसचिव के आशुलिपिक ग्रेड-।, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

22/8/26

कुलसचिव

पत्रांक 01/[illegible] 01/2026 — [illegible]

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

पवन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलपति,
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय।
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।
पटना विश्वविद्यालय, पटना।
मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी।
भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, गया।
चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना।
बाबासाहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर।

पटना, दिनांक 21 / 08 / 2026

विषय — विद्यार्थियों की शिकायतों / समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु "विद्यार्थी सहयोग शिविर" आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—14811 दिनांक—16.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राज्य के मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्रो के शैक्षणिक समस्याओ के समयबद्ध निवारण के लिये "विद्यार्थी सहयोग शिविर" के आयोजन हेतु दिशा—निदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त निदेश के आलोक में आपके अधीन संचालित विश्वविद्यालय एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों मे बिंदुवार निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी हैः—

1. **शिविर का आयोजनः—** आगामी **25 अगस्त, 2026** से प्रत्येक माह के **चतुर्थ मंगलवार** को अनिवार्य रूप से "विद्यार्थी सहयोग शिविर" का आयोजन किया जाएगा। यदि उस दिन राजकीय अवकाश घोषित हो, तो शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित होगा।

2. **पोर्टल पर निबंधन व शिकायतः—** दिनांक 17.08.2026 से **'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल** लाइव हो चुका है। संबंधित संस्थानों के वास्तविक (Bona fide) छात्र ही इस पोर्टल पर निबंधन कर अपनी शैक्षणिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

3204/26
/08/26

3 **समाधान योग्य समस्याएः**— शैक्षणिक समस्याओं के अधीन वैसी समस्याएं जैसे—समय पर कक्षाओं का संचालन नहीं होना, प्राध्यापकों/शिक्षकों का समय पर कक्षा में नहीं पहुंचना या अनुपस्थित रहना, समय पर परीक्षा का संचालन नहीं होना, परीक्षाफल का समय पर प्रकाशन नहीं होना, अनाधिकृत फीस/शुल्क की वसूली, कक्षाओं में बिजली, बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था आदि की समस्याएं, कॉलेज/स्कूल में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ—सफाई की व्यवस्था, कोचिंग में समस्या एवं अन्य प्रकार की विधि व्यवस्था से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं।

4. **"कियोस्क (Kiosk) एवं बुनियादी व्यवस्थाः"** —शिविर के दिन संस्थान परिसर या बड़े हॉल में एक "कियोस्क" स्थापित किया जाय, जहां कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की व्यवस्था हो। इसके संचालन हेतु एक स्थानीय पदाधिकारी को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाय

5. **"प्रचार—प्रसारः"**— शिविर एवं पोर्टल के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए संस्थान के मुख्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से **"बैनर और पोस्टर"** प्रदर्शित किया जाय।

6. **"समयबद्ध निवारणः"**— शिविर एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का अन्तिम रूप से निष्पादन स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार **अधिकतम 30 दिनों के भीतर** सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र में अंकित दिशानिर्देशों के आलोक में उक्त "विद्यार्थी सहयोग शिविर" का आयोजन सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों यथा—विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों में करने/कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/08/26

(पवन कुमार सिन्हा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 01/एम1—01/2026-03 पटना, दिनांक 21/08/2026

प्रतिलिपि :—अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/08/26

विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग।